भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4771
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

शिक्षा परियोजनाएं

†**4771 श्री अजय निषादः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चलाई जा रही शिक्षा परियोजनाओं का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई निधि का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उच्च शिक्षा परियोजनाओं पर निधि की राज्य-वार कुल राशि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसी शिक्षा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-**I** में निर्दिष्ट है।

(ख): पिछले तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए आबंटित/जारी निधियों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा परियोजनाओं पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आज तक)	कुल
जारी राशि	28933.38	33559.43	31812.79	34433.97	128739.57

उच्चतर शिक्षा की प्रमुख परियोजनाओं/योजनाओं के लिए जारी निधियों का राज्य वार ब्यौरा अनुबंध- **II** के रूप में संलग्न है।

(घ): परियोजनाओं/ योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए उठाए गए/ उठाय जाने वाले कदम अनुबंध--**III.** में निर्दिष्ट है।

*****

अनुबंध-I

शिक्षा परियोजनाओं के संबंध में श्री अजय निषाद द्वारा 23.3.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4771 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

शिक्षा परियोजनाओं / योजनाओं का विवरण:

(I) समग्र शिक्षा: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना देश के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए वर्ष 2000-01 से लागू थी। एसएसए को 2018-19 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा की अन्य दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ स्कूल शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना अर्थात समग्र शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था जिससे दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश में स्कूली शिक्षा प्रदान की जा सके। यह 'स्कूल को पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करता है।

(II) मध्याहन भोजन योजना (एमडीएम) :

स्कूलों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे मिड-डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता है, एक चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायताप्राप्त मदरसों और मकतबों सहितसरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 11.34 लाख संस्थानों में पढ़ रहे 11.98 करोड़ बच्चे योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। मध्याहन भोजन योजना के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 24.95 लाख रसोइये सह सहायक नियुक्त किए गए हैं जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। 24.95 लाख रसोइयों में से, 21% एससी, 15% एसटी, 42% ओबीसी और 7% अल्पसंख्यक हैं।

उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य भारत के अधिकांश बच्चों की दो महत्वपूर्ण समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा , को संबोधित करना है, जो निंलिखित द्वारा किया जाएगा:

i) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) और समग्र शिक्षा के तहत सहायताबद्ध मदरसों और मकतबों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार।

ii) गरीब बच्चों वंचित वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वे नियमित रूप से स्कूल जाएँ और कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना।

iii) गर्मी की छुट्टी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

(III) राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस):

माध्यमिक छात्रवृत्ति अनुभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मई, 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) देख रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि कक्षा VIII के बाद उनकी ड्रॉप आउट दर को रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कक्षा IX के चयनित छात्रों को 12000 / - प्रति छात्र प्रति वर्ष की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रति वर्ष दी जाती है जिससे वे राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययन जारी रख सकें ।

(IV) मदरसों / अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम):

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मदरसों / अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है, जिसमें 2 योजनाएं शामिल हैं: मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढाँचा विकास (आईडीएमआई)। योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। दोनों योजनाएँ प्रकृति में स्वैच्छिक हैं। 16 राज्यों यानी बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, ने 2014-15 के बाद से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है।

उद्देश्य

एसपीक्यूईएम

i. अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देकर मदरसों और मकतबों जैसी पारंपरिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ताकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा I-XII के लिए शैक्षणिक दक्षता प्राप्त हो सके। हालांकि, पारंपरिक मदरसों और मकतबों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी।

ii. इन संस्थानों के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए समान शिक्षा प्राप्त करने के के लिए विशेष रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए अवसर प्रदान करना। इससे इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे सीखने के उच्च स्तर तक प्रगति कर सकेंगे और उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

iii. मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने और मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम करके सहायता के लिए राज्य मदरसा बोर्डों को मजबूत करना।

iv. योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, उनके शैक्षणिक कौशल और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए।

आईडीएमआई

i. अल्पसंख्यक संस्थानों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा।

ii. लड़कियों, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और जो अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित हैं, के लिए शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए।

(V) प्रौढ़ शिक्षा – साक्षर भारत:

वर्तमान में देश में प्रौढ़ शिक्षा की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, तथापि, प्रौढ़ शिक्षा (साक्षर भारत) की पूर्ववर्ती योजना को 31 मार्च 2018 तक लागू किया गया और प्रतिबद्ध देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया।

(VI) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):

देश में केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सूची (आज की स्थिति के अनुसार) अनुबंध– IV पर दी गई है।

उच्चतर शिक्षा:

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी): वर्तमान में, देश की गुणवत्ता तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी जनशक्ति प्रदान करने के लिए एनआईटीईएसईआर अधिनियम, 2007 के तहत "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" के रूप में 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीयरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी) में काम कर रहे हैं। । 31 एनआईटी में से, बिहार राज्य में पटना में एक एनआईटी कार्यरत है। देश में एनआईटी के कामकाज की सूची के साथ–साथ इन संस्थानों को जारी किए गए धन का विवरण अनुलग्नक– II में संलग्न है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा): रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसे एमएचआरडी द्वारा 3 अक्टूबर, 2013 को शुरू किया गया था। आज की तारीख तक 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (लद्दाख सहित) इस योजना में हैं और आज तक कुल 2,906 परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं। रूसा के तहत स्वीकृत बिहार सहित राज्य की कई परियोजनाएं अनुबंध– V में दी गई हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी): भारत सरकार ने 31.03.2019 तक की अवधि में 13,990 करोड़ रु. (केवल तेरह हजार नौ सौ नब्बे करोड़) की कुल लागत पर 8 नए आईआईटी (द्वितीय जनरेशन) की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके बाद, भारत सरकार ने परियोजना मोड में 6 (छह) अधिक IIT सेटअप करने का निर्णय लिया था। 6 नए

आईआईटी (तीसरी जनरेशन) के स्थायी कैंपस की स्थापना के लिए, 17.07.2017 को आयोजित अपनी बैठक में ईएफसी ने दो चरणों में इन आईआईटी के स्थाई कैंपस के निर्माण की सिफारिश की, जिसमें वित्तीय परिव्यय रु। 2017-18 और 2019-20 के बीच चरण I के लिए 7002.42 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय परियोजना II के चरण II को 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित किया जाना है, जिसे चरण I में की गई प्रगति के पुन: मूल्यांकन के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है।

आईआईएससी और आईआईएसईआर:, आईआईएससी और आईआईएसईआर संस्थानों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	संस्थान का नाम	राज्य
.1	आई आई एस सी, बेंगलुरु	कर्नाटक
.2	आईआईएसईआर, पुणे	महाराष्ट्र
.3	आईआईएसईआर कोलकाता	पश्चिम बंगाल
.4	आईआईएसईआर मोहाली	पंजाब
.5	आईआईएसईआर भोपाल	मध्य प्रदेश
.6	आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम	केरल
.7	आईआईएसईआर,तिरुपति	आंध्र प्रदेश
.8	आईआईएसईआर,बेरहमपुर	ओडिशा

अनुबंध -II

शिक्षा परियोजनाओं के संबंध में श्री अजय निषाद द्वारा 23.3.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4771 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सूचकांक

क्र. सं.	विशेष	पृष्ठ सं.
1.	समग्र शिक्षा (एसएस)	
2.	मिड डे मील (एमडीएम)	
3.	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना	
4.	मदरसों / अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना	
5.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति	
6.	साक्षर भारत	
7.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT)	
9.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)	
11.	भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	

वर्ष 2016-17 और 2017-18 से 2019-20 के लिए SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा के तहत जारी केंद्रीय हिस्सा (समग्र शिक्षा)

क्र। नहीं।	राज्य का नाम	2016-17			2017-18			2018-19	2019-20
		सर्व शिक्षा अभियान	आरएमएसए	TE	सर्व शिक्षा अभियान	आरएमएसए	TE	समग्र शिक्षा	समग्र शिक्षा
		सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी * (29-2-2020 तक)
1	एक और एन द्वीप	479.14	354.82	19.7	1945.53	308.38	9.47	2180.33	3093.94
2	आंध्र प्रदेश	63302.18	7108.57	437.68	70,431	27032.75	525.06	95096.76	95984.12
3	अरुणाचल प्रदेश	19956.64	1207.31	1206.62	23022.07	7629.96	1302.79	33048.8	33369.29
4	असम	87652.3	25776.42	3125.36	123,584	14539.49	3027.68	157,072.23	122,265.97
5	बिहार	270688.4	20065.41	0	255,797	18603.98	0	305,837.73	315,693.12
6	चंडीगढ़	3333.56	335.02	5.49	9265.5	205.27	8.59	7714.56	6371.14
7	छत्तीसगढ़	59262.77	24663.89	1490.05	67,477	14606.98	939.04	88206.43	101,322.73
8	दादरा और एन। हवेली	1068.37	220.13	0	5476.54	136.59	0	3462.38	3835.47
9	दमन और दीव	300	123.2	0	1038.57	110.91	0	631.22	924.44
10	दिल्ली	8306.2	1829.43	1971.13	10976.9	2725.97	1306.8	13981.74	24309.98
1 1	गोवा	869.11	334.98	151.49	862.6	413.72	90	1353.03	1501.58
12	गुजरात	77740.5	16505.36	1905.79	65046	4797.01	2510.37	67089.17	96554.57
13	हरियाणा	32000.88	14724.44	3529.64	36,355	21243.50	2811.31	57841.95	61907.05
14	हिमाचल प्रदेश	12825.46	23279.25	1272.4	30,874	10098.37	1094.8	43295.44	45505.81
15	जम्मू और कश्मीर	107,250.05	14947.61	3922.7	153,797.98	29235.19	2385.69	171,776.09	62554.86
16	झारखंड	50945.73	13295.61	111.08	58984.54	5070.06	0	68,596	88321.63
17	कर्नाटक	54495.51	8104.32	1877.93	54881.99	5169.27	1365.33	62,784	70153.97
18	केरल	11316.74	4969.22	713.58	13680	3363.86	1265.48	25604.99	21420.28
19	लद्दाख								1000.00

क्र। नहीं।	राज्य का नाम	2016-17			2017-18			2018-19	2019-20
		सर्व शिक्षा अभियान	आरएमएसए	TE	सर्व शिक्षा अभियान	आरएमएसए	TE	समग्र शिक्षा	समग्र शिक्षा
		सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी किया गया	सेंट्रल शेयर जारी * (29-2-2020 तक)
20	लक्षद्वीप	239.87	17.87	0	406.52	21.58	0	265.07	728.11
21	मध्य प्रदेश	154,455.08	34834.51	1032.53	173,814	42962.33	2023	243,783.65	246,044.65
22	महाराष्ट्र	60369.65	12305.67	2067.02	64,232	9969.48	2258.31	95051.92	73423.81
23	मणिपुर	4405.31	4320.68	1263.74	18,377	7249.21	2383.02	25202.01	24184.56
24	मेघालय	20067.01	1897.71	354.32	33579.5	1420.76	281.75	23784.62	32311.14
25	मिजोरम	10934.31	3223.65	438.33	12000.33	3249.44	1695.17	14630.41	16813.38
26	नगालैंड	10725.34	2509.58	3396.52	11717	5483.83	1455.31	19766.33	10773.19
27	ओडिशा	70,423	10058.52	2257.37	86,612	16388.46	1566.24	123,021.51	189,289.15
28	पुडुचेरी	304.68	217.56	139.44	622.73	223.36	108.63	804.88	575.07
29	पंजाब	30002.69	8852.12	1482.32	31,665	6518.48	943.2	44,400	46239.27
30	राजस्थान Rajasthan	182,578.48	35968.19	2596.09	198,973	42401.91	2765.85	262,721.45	291,132.73
31	सिक्किम	3479.24	1479.98	522.51	5684.35	2504.06	310.61	6624.19	8892.10
32	तमिलनाडु	82111.3	29324.58	4205.93	86,644	36356.22	3777.34	147,444.01	165,896.57
33	तेलंगाना	41776.09	9009.98	295.17	44244.72	19560.02	557.12	68840.41	108,634.56
34	त्रिपुरा	19190.95	1383.85	140.71	20220.38	3914.92	1766.64	24896.48	23492.36
35	उत्तर प्रदेश	505,433.99	18913.62	4282.38	424,980.68	16219.66	3803.17	462,541.04	476,812.50
36	उत्तराखंड	25268.98	12463.88	3185.36	62,499	15819.82	3130.25	51138.26	50860.76
37	पश्चिम बंगाल	82185.33	4200.01	0	89,657	5832.98	187.5	108,934.52	157,905.49
	कुल	**2,165,744.84**	**368,826.95**	**49400.38**	**2,349,425.43**	**401,387.78**	**47655.52**	**2,929,423.61**	**3080099.347**

मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटित / जारी केंद्रीय सहायता

(रू. लाख में)

एस।	राज्यों / संघशासित प्रदेशों	केंद्रीय सहायता आवंटित / जारी की गई			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (19.03.2020 को)**
1	आंध्र प्रदेश	24402.16	25713.85	25748.17	25139.68
2	अरुणाचल प्रदेश	3355.92	2551.75	2506.03	2367.90
3	असम	54846.72	52903.47	51982.21	55325.82
4	बिहार	114,257.02	97871.58	112,448.94	109,313.34
5	छत्तीसगढ़	29196.57	27683.33	32085.98	25489.23
6	गोवा	1230.38	1230.93	1309.07	1276.05
7	गुजरात	40756.01	40429.86	42351.63	39287.11
8	हरियाणा	11539.51	9953.83	13218.95	10889.91
9	हिमाचल प्रदेश	8028.63	8684.1	8021.30	7556.73
10	जम्मू और कश्मीर	11393.26	6328.69	10665.80	2666.45
1 1	झारखंड	38196.77	30332.59	33242.99	32310.90
12	कर्नाटक	43937.98	44788.57	40707.67	52023.55
13	केरल	17781.46	32978.36	19856.63	19962.41
14	मध्य प्रदेश	65741.79	58098.87	56191.95	50407.62
15	महाराष्ट्र	70686.68	80310.7	98185.46	99468.82
16	मणिपुर	2691.66	2479.76	2050.81	2192.30
17	मेघालय	6239.53	6486.73	7734.39	7530.73
18	मिजोरम	2017.24	2018.32	1889.23	2047.93
19	नगालैंड	2423.56	1776.42	2861.95	2279.38
20	ओडिशा	43841.08	41927.41	39556.93	40358.68
21	पंजाब	13773.43	14330.59	15249.99	13113.44
22	राजस्थान	45451.46	41107.05	42043.30	47252.76
23	सिक्किम	899.13	881.12	881.15	817.45
24	तमिलनाडु	42846.05	42506.34	42054.58	43121.49
25	तेलंगाना	18085.87	15494.76	15757.34	18821.14
26	त्रिपुरा	5279.73	5119.04	5339.03	5383.31
27	उत्तराखंड	8483.19	9714.2	9478.27	10273.31
28	उत्तर प्रदेश	101,736.19	100,475.08	112,771.60	118,201.96
29	पश्चिम बंगाल	106,921.55	97146.3	91710.01	106,401.14
30	एक और एन द्वीप	415.17	388.65	584.78	754.85
31	चंडीगढ़	819.3	669.35	1062.83	884.26
32	डी एंड एन हवेली	638.51	538.44	933.22	572.89
33	दमन और दीव	284.48	332.16	304.07	258.31
34	दिल्ली	9075.93	5294.99	9808.38	10319.99
35	लक्षद्वीप	127.60	118.41	124.63	98.93
36	पुडुचेरी	459.94	402.48	515.51	290.01
कुल (लाख में)		**947,861**	**909,068**	**951,235**	**964,460**
कुल (करोड़ में)		***9478.61***	***9090.68***	***9512.35***	***9644.60***

2016-17 से 2019-20 के दौरान नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के तहत छात्रों को मंजूर की गई राज्यवार और वर्षवार छात्रवृत्ति को दर्शाने वाला विवरण ।

रुपये लाख में

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20	
		छात्र	रकम	छात्र	रकम	छात्र	रकम	छात्र	रकम
1	अंडमान और निकोबार	133	7.98	138	8.28	197	23.64	212	25.44
2	आंध्र प्रदेश	4961	297.66	9485	580.50	10225	1227.00	7450	894
3	तेलंगाना	163	9.78	10941	688.08	10441	1252.92	6457	774.84
4	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	14	1.68	-	-	90	10.8
5	असम	687	41.26	1354	81.24	497	59.64	1353	162.36
6	बिहार	340	20.38	29,540	1772.40	14041	1564.08	12827	1539.24
7	चंडीगढ़	266	15.96	178	10.68	427	51.24	177	21.24
8	छत्तीसगढ़	0	0.00	7	0.84	642	77.04	622	74.64
9	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	117	7.92	114	13.68	42	5.04
10	दमन और दीव	0	0.00	25	2.04	81	9.72	32	3.84
1 1	दिल्ली	41	2.46	9556	573.36	4289	514.62	1076	129.12
12	गोवा	0	0.00	736	44.34	297	35.64	289	34.68
13	गुजरात	0	0.00	39470	2485.18	14,557	1746.68	13018	1562.16
14	हरियाणा	3054	183.22	12724	763.44	3650	438.00	4171	500.52
15	हिमाचल प्रदेश	613	36.78	4722	291.72	4212	505.26	2999	359.88
16	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	1030	61.80	604	72.48	0	0
17	झारखंड	0	0.00	2225	133.50	1466	133.32	1393	167.16
18	कर्नाटक	7979	478.74	29,427	1786.44	21,664	2599.56	24597	2951.64
19	केरल	14044	842.64	21,430	1330.68	16560	1987.20	23608	2832.96
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0
21	मध्य प्रदेश	0	0.00	31,663	1944.54	9814	1123.48	24901	2988.12
22	महाराष्ट्र	13845	830.70	66355	4113.07	74,488	7574.81	29,598	3551.76
23	मणिपुर	240	14.40	409	33.12	45	5.40	387	46.44
24	मेघालय	495	29.70	755	78.18	117	14.04	905	108.6
25	मिजोरम	412	24.72	120	13.26	387	46.44	323	38.76
26	नगालैंड	109	6.54	421	31.74	360	43.20	0	0
27	ओडिशा	2765	165.90	19,571	1222.11	9540	1144.80	12402	1488.24
28	पुद्दुचेरी	385	23.10	191	11.46	700	84.00	323	38.76
29	पंजाब	3485	209.10	5158	309.54	6482	777.84	3802	456.24
30	राजस्थान	1	0.06	9806	644.70	13548	1624.02	9091	1090.92
31	सिक्किम	175	10.50	330	32.04	68	8.16	212	25.44
32	तमिलनाडु	5710	342.60	53,278	3199.32	15063	1807.56	44,378	5325.36
33	त्रिपुरा	745	44.74	456	47.04	171	20.52	67	8.04
34	उत्तर प्रदेश	1230	73.80	14141	849.54	6767	812.04	3678	441.36
35	उत्तराखंड	5	0.30	4853	291.48	3422	402.54	1131	135.72
36	पश्चिम बंगाल	2543	152.58	49329	2970.90	35,394	3936.42	23599	2831.88
	कुल	**64,426**	**3865.60**	**429,955**	**26416.16**	**280,330**	**31736.99**	**255,210**	**30625.20**

मदरसों / अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने के लिए स्कीम एसपीईएमएम एवं आईडीएमआई के तहत जारी फंड्स :

रुपये लाख में

साल	SPQEM के तहत जारी किया गया	IDMI के तहत जारी किया गया	कुल राशि जारी
2016-17	10694.00	225.01	10919.01
2017-18	7759.748	3029.642	10789.39
2018-19	1467.677	357.3257	1825.0045
2019-20 (आज की तारीख में)	6357.00	491.42	6848.42

एसपीईएमएम के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17			2017-18			2018-19		
		मदरसा की संख्या	रकम	शिक्षक की सं	मदरसा की संख्या	रकम	शिक्षक की सं	मदरसा की संख्या	रकम	शिक्षक की सं
1	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	480	684.72	1318	432	649.57	1138	218	209.67	474
3	झारखंड	-	-	-	110	148.14	285	-	-	-
4	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मध्य प्रदेश	1877	1526.7	3786	1138	846.74	2485	1138	567.123	2485
6	त्रिपुरा	-	-	-	257	320.50	653	128	147.60	322
7	उत्तर प्रदेश	6062	8089.1	15,107	4039	5543.56	10,724	7044	491.444	21,126
8	उत्तराखंड	287	393.47	758	228	251.02	624	34	51.84	100
9	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**8706**	**10694**	**20,969**	**4720**	**7759.54**	**12518**	**8562**	**1467.677**	**24,507**

आईडीएमआई के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		201 8 -1 9	
		संस्थानों की संख्या	रकम	संस्थानों की संख्या	रकम	संस्थानों की संख्या	रकम
1	हरियाणा	-	-	-	-		
2	कर्नाटक	2	11.435	-	-		
3	केरल	1	3.75	131	2804.517	3	31.685
4	मणिपुर	-	-	-	-	1	25
5	मध्य प्रदेश	-	-	-	-		
6	महाराष्ट्र	-	-	14	60		
7	नगालैंड	3	8.625	3	8.625		
8	उत्तराखंड	-	-	1	7.13		
9	सिक्किम	7	51.525	7	149.37		
10	मिजोरम	25	129.06	-	-	25	82.39
1 1	तमिलनाडु	-	-	-	-		
12	उत्तर प्रदेश	1	20.6	-	-	9	218.25
	कुल	**39**	**225.00**	**156**	**3029.642**	**38**	**357.3275**

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान KVS और NVS को बजट आवंटन एंव जारी किया गया: -

रुपये करोड़ में

साल	केवीएस को जारी राशि	एनवीएस को जारी राशि
2016-17	3987.15	2619.57
2017-18	4997.25	3185.00
2018-19	5006.75	3213.00
2019-20	5899.79	3387.60

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) को तीन अलग-अलग शीर्षों के तहत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है अर्थात् वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसम्पत्ति का निर्माण। यह आवंटन समेकित आधार पर किया गया है, न कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों वार।

गत तीन वर्षों के दौरान साक्षर भारत के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी केन्द्रीय शेयर का विवरण

(लाख में)

क्रम सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**केन्द्रीय भाग**		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	0	1874	0
2	अरुणाचल प्रदेश	31.45	234	579.88
3	असम	0	1033.2	0
4	बिहार	2340	0	525
5	छत्तीसगढ़	1400.1	1248	0
6	डी एंड एन हवेली	29.12	0	0
7	गुजरात	0	0	0
8	हरियाणा	1002.35	499.2	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	46.8	0
10	जम्मू और कश्मीर	585	2347.2	264.65
1 1	झारखंड	630.24	0	600
12	कर्नाटक	1934.4	312	0
13	मध्य प्रदेश	4142.75	1725.25	414.64
14	महाराष्ट्र	0	0	1794.81
15	मणिपुर	0	117	20.46
16	मेघालय	0	0	0
17	नगालैंड	0	0	0
18	ओडिशा	153.24	314.76	0
19	पंजाब	0	0	0
20	राजस्थान	152.99	2097.6	0
21	सिक्किम	0	0	8.05
22	तमिलनाडु	878.66	796.8	0
23	तेलंगाना	1560	2496	0
24	त्रिपुरा	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	5100	3744	0
26	उत्तराखंड	0	0	245.48
27	पश्चिम बंगाल	748.8	283.9	0
	कुल	**20689.1**	**19167.71**	**4452.97**

गत 03 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यूजीसी द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया गया आवंटन / अनुदान

(लाख में रु)

क्र. स.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	विभिन्न शीर्षों में जारी किया गया अनुदान			
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (19.3.2020 को)
1	2	3	4	5	6	7
	गैर पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय					
1	तेलंगाना	एमएएन ऊर्द विश्वविद्यालय	12452.97	13917.14	9429.90	14030.27
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	26503.62	25136.17	26339.98	27626.03
3		अंग्रेजी और विदेशी भाषा की विश्वविद्यालय	8089.21	8502.39	9157.67	9250.93
4	छत्तीसगढ	गुरू घासीदास विस्वादिदयालय	8513.22	9501.69	7648.64	7790.45
5a	दिल्ली	दिल्ली की अद्वितीयता	44932.08	49585.98	55274.00	50431.90
ख		यूसीएमएस	11195.25	9370.51	10075.04	15275.85
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	30587.04	33320.18	36299.07	35890.82
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।	33246.29	37351.45	37165.34	40697.77
8	मध्य प्रदेश	डॉ। हरिशचंद गौड़ विश्वविद्यालय	14381.12	19324.90	14559.46	13119.92
9		इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	11031.86	8636.08	5895.33	5524.36
10	महाराष्ट्र	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय	7379.38	6892.10	2946.07	3892.83
1 1	पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	18400.51	16858.38	12055.34	17824.68
12	उत्तराखंड	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय	12654.98	10036.04	9489.95	13828.64
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	89470.12	110,601.54	100,969.15	115,900.00
14		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	89246.90	111,635.20	108,442.06	119,491.11
15		बीबीएयू	6279.12	6054.76	6979.37	6332.13
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	29067.63	31761.84	31816.37	41717.37
17	पश्चिम बंगाल	विश्वभारती	26975.75	26226.34	25570.98	29466.44
	कुल (I) (गैर-केंद्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		**480,407.05**	**534,712.69**	**510,113.72**	**568,091.50**
	नई केन्द्रीय विश्वविद्यालय					
18	बिहार	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5804.74	6690.17	5534.76	4865.72
19		महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1800.00	1946.05	1362.85	2233.04
20	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2085.34	2756.12	2198.92	2166.75
21	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	8000.00	5554.97	4185.86	3603.29
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	130.86	2853.94	1812.27	2637.59
23	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3356.88	6815.37	2624.47	4493.02
24		कशमीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	112.27	5596.47	1944.90	2210.23
25	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1,200.00	4068.65	3768.34	2955.60
26	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3532.45	3838.42	3227.46	2818.31
27	केरल	केरला केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7535.97	6585.87	4342.76	4065.38
28	ओडिशा	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	2573.62	1791.35	1194.95
29	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	11526.48	6478.76	3792.17	2802.04

क्र. स.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	विभिन्न शीर्षों में जारी किया गया अनुदान			
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (19.3.2020 को)
30	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	6648.00	6844.94	4912.01	4301.99
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7003.68	3189.85	4247.82	3824.08
	कुल-II (नये सीयू)		**58736.67**	**65793.20**	**45745.94**	**44171.99**
	कुल (I + II)		**539,143.72**	**600,505.89**	**555,859.66**	**612,263.49**
	पूर्वीत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय					
32	असम	असम विश्वविद्यालय	8975.51	14241.65	9909.02	14116.61
33		तेजपुर विश्वविद्यालय	7690.50	12980.00	8223.30	8777.04
34	अरुणाचल प्रदेश	रजीव गांधी विश्वविद्यालय	7738.42	7910.92	6175.46	8143.66
35	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	13148.70	18901.96	10794.21	8103.27
36	मेघालय	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	19781.83	25446.30	20287.41	20501.54
37	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	11664.09	14662.94	11164.81	14712.32
38	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	11937.18	14491.35	8948.15	10852.65
39	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	8908.09	5303.03	6981.07	4961.63
40	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	6604.95	9521.20	4167.05	7710.56
	कुल (तृतीय) (एनईआर)		**96449.27**	**123,459.35**	**86650.48**	**97879.28**
	कुल घन (I + II + III)		**635,592.99**	**723,965.24**	**642,510.14**	**710,142.77**
41	उत्तर प्रदेश	आईएमएस बीएचयू	3000.00	4668.00	17500.00	7,000.00
42	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	800.00	0.00
43		आंध्र प्रदेश जनजातीय केन्द्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	50.00	0.00
	कुल योग (सीयू + आईएमएस –बीएचयू + आंध्र प्रदेश		**638,592.99**	**728,633.24**	**660,860.14**	**717,142.77**

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों (CUs) को जारी किए गए फंड

क्र. स.	राज्य अमेरिका	सीयू का नाम	सीयू को जारी किए गए फंड
1	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय,	8.2278
2	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय,	4.32
3	तेलंगाना	हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय	५.७२,९८५
4	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	11.5524
5	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	5.8392
6	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3.7242
		कुल:	55.4148

वित्तीय वर्ष 2016- 2017 से (17.03.2020) के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIEST) को जारी वास्तविक राशि

(लाख में रु।)

क्र. स.	स्वायत्त निकायों का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	एनआईटी अगरतला	11820.00	10916.00	8814.00	4273.20
2	एनआईटी इलाहाबाद	10280.00	12684.00	16428.00	12150.74
3	एनआईटी भोपाल	9250.00	13267.00	12643.00	15613.83
4	एनआईटी कालीकट	12130.00	13340.00	18632.00	12002.68
5	एनआईटी दुर्गापुर	10330.00	16934.00	13399.00	17229.83
6	एनआईटी हमीरपुर	5830.00	9352.00	14363.68	10159.00
7	एनआईटी जयपुर	13530.00	17662.00	16600.00	10885.19
8	डॉ। बीआर अंबेडकर एनआईटी-जालंधर	4600.00	12724.00	8159.00	10094.00
9	एनआईटी जमशेदपुर	9450.00	14285.00	10388.00	9430.56
10	एनआईटी कुरुक्षेत्र	10990.00	15229.00	13186.00	12727.50
1 1	VNIT-नागपुर	14350.00	17813.00	14145.00	14736.58
12	एनआईटी पटना	10180.00	12189.00	8768.00	9705.00
13	एनआईटी रायपुर	4620.00	6443.00	9609.56	10525.77
14	एनआईटी राउरकेला	18821.43	23840.00	20963.00	22267.52
15	एनआईटी सिलचर	12865.60	12015.00	8804.20	7875.00
16	एनआईटी-श्रीनगर	8900.00	13090.00	19159.00	12169.00
17	एसवीएनआईटी-सूरत	10900.00	6924.00	5000.00	14747.00
18	एनआईटीके-सूरतकल	14240.00	22070.00	25040.56	19174.66
19	एनआईटी तिरुचिरापल्ली	12840.00	14588.00	17286.00	20255.19
20	एनआईटी वारंगल	16260.00	12593.00	18921.00	22391.61
21	एनआईटी-अरूणाचल प्रदेश	5171.00	3000.00	3433.00	900.00
22	एनआईटी दिल्ली	8270.00	3400.00	6170.00	11010.00
23	एनआईटी गोवा	2300.00	8600.00	2069.00	1278.67
24	एनआईटी मणिपुर	4400.00	4400.00	3817.00	1400.00
25	एनआईटी मेघालय	11970.00	7,000.00	4878.00	2093.75
26	एनआईटी मिजोरम	5500.00	7316.00	2050.00	0.00
27	एनआईटी नागालैंड	8681.00	6200.00	2943.00	1000.00
28	एनआईटी पुडुचेरी	4000.00	3900.00	3657.00	4819.00
29	एनआईटी सिक्किम	1,200.00	1900.00	3817.00	1,200.00
30	एनआईटी उत्तराखंड	699.98	3500.00	4714.00	2533.00
31	NIT-ANDHRA PRADESH	1000.00	5000.00	8010.00	7982.87
32	II II SHIBPUR	9882.00	13000.00	13000.00	13527.00
	कुल	**285,261.01**	**345,174.00**	**338,867.00**	**316,158.14**

पिछले तीन वर्षों में रूसा योजना के तहत आवंटित और जारी राज्यवार निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कुल सीएस स्वीकृत (करोड़ों में)	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में वर्षवार जारी (करोड़ों में)			
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	512.40	7.4479	86.42	100.10	33.90
2	अरुणाचल प्रदेश	124.01	6.75	25.58	25.20	8.10
3	असम	671.10	54.78	122.17	161.18	14.40
4	बिहार	223.44	22.72	11.10	1.50	70.50
5	छत्तीसगढ़	257.40	16.766	39.72	30.30	66.45
6	गोवा	58.20	0	13.80	12.90	7.65
7	गुजरात	256.04	40.1182	27.55	40.26	25.44
8	हरियाणा	277.53	3	17.74	70.72	25.24
9	हिमाचल प्रदेश	284.40	50.4	40.88	29.55	34.34
10	जम्मू और कश्मीर	516.28	९२.९२,४६१	72.22	59.25	88.45
1 1	झारखंड	374.40	58.807	28.50	47.40	67.95
12	कर्नाटक	484.80	41.8125	87.24	65.49	69.75
13	केरल	340.80	60.2914	13.48	82.35	14.40
14	मध्य प्रदेश	338.40	57.7725	33.39	85.65	32.40
15	महाराष्ट्र	506.15	4.5505	57.00	45.18	80.95
16	मणिपुर	174.59	30.195	35.65	13.05	14.18
17	मेघालय	137.70	25.385	8.10	20.10	24.74
18	मिजोरम	130.59	11.475	27.06	21.07	4.41
19	नगालैंड	134.35	22.725	25.18	5.40	34.15
20	ओडिशा	552.00	72.85	77.90	68.55	34.51
21	पंजाब	251.26	16.825	33.60	32.20	18.00
22	राजस्थान	366.60	62.4	53.70	60.30	43.52
23	सिक्किम	118.26	11.5727	11.04	22.50	8.33
24	तमिलनाडु	545.58	84.8125	35.75	44.80	135.57
25	तेलंगाना	304.20	10.7855	32.49	41.71	55.08
26	त्रिपुरा	96.66	0	0.00	8.51	9.02
27	उत्तर प्रदेश	544.80	115.7811	137.11	0.00	81.01
28	उत्तराखंड	273.11	61.0221	20.28	33.38	47.33
29	पश्चिम बंगाल	538.20	72.225	48.00	124.00	35.22
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33.00	7.5185	2.50	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	96.00	10	8.03	10.00	5.00
32	दिल्ली	3.60	0	0.00	0.00	0.00
33	दादरा और नगर हवेली	8.24	0	0.00	4.33	0.00
34	दमन और दीव	11.23	0	0.00	3.94	0.00
35	पुडुचेरी	71.40	0	5.06	7.80	2.04
36	लद्दाख	13.43	0	1.12	0.00	1.55
कुल		**9630.13**	**1133.713**	**1239.31**	**1378.66**	**1193.58**

सरकार द्वारा अनुमोदित आठ (8) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र। नहीं	संस्थान	प्रारंभिक स्वीकृत रूपरेखा					पहले आरसीई स्वीकृत परिव्यय				
		सिविल	उपॅकरण	वेतन	गैर-वेतन	कुल	सिविल	उपॅकरण	वेतन	गैर-वेतन	कुल
1	हैदराबाद	388	141	116	115	760	1042	326	315	392	2075
2	गांधीनगर	388	141	116	115	760	1031	232	226	227	1716
3	जोधपुर	388	141	116	115	760	1121	164	145	175	1605
4	भुवनेश्वर	388	141	116	115	760	1260	194	193	233	1880
5	मंडी	388	141	116	115	760	1024	155	153	134	1466
6	रोपड़	388	141	116	115	760	1231	150	140	148	1668
7	इंदौर	388	141	116	115	760	1238	198	200	266	1902
8	पटना	388	141	116	115	760	1020	238	207	213	1678
	कुल	3104	1128	928	920	6080	8967	1657	1579	1787	13990

08 नए आई आई टी को योजना अनुदान के तहत जारी निधियों का विवरण

	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**HEFA**	**2019-20**	**HEFA**	**कुल + HEFA**
आईआईटी-हैदराबाद	215.75	361.39	130.59	21.97	159.47	17.72	906.89
आईआईटी-जोधपुर	250.00	541.27	45.50	0.00	82.60	8.25	927.62
आईआईटी-भुवनेश्वर	164.08	376.93	95.18	16.15	46.27	10.31	708.92
आईआईटी-इंदौर	200.00	386.43	136.73	18.60	119.45	35.02	896.23
आईआईटी-मंडी	196.38	363.01	62.79	13.29	88.68	22.31	746.45
आईआईटी-गांधीनगर	196.75	257.48	103.99	10.31	95.29	0.00	663.82
आईआईटी-रोपड़	245.67	459.77	81.00	24.85	107.58	18.80	937.67
आईआईटी-पटना	159.57	242.60	122.00	11.81	95.74	21.14	652.86
कुल योग	**1628.20**	**2988.88**	**777.78**	**116.98**	**795.08**	**143.53**	**6450.44**

सरकार द्वारा बाद में अनुमोदित छह (6) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं।	संस्था का नाम	स्वीकृत लागत				
		सिविल वर्क्स (35)	लैस और फर्नीचर (35)	कुल	आवर्ती (31 और 36)	कुल
1	आईआईटी-पलक्कड़	1006.45	210.95	1217.40	97.51	1314.91
2	आईआईटी-जम्मू	874.09	210.95	1085.04	97.51	1182.55
3	आईआईटी-भिलाई	773.00	210.95	983.95	97.51	1081.46
4	आईआईटी-गोवा	880.26	210.95	1091.21	97.51	1188.72
5	आईआईटी-धारवाड़	851.88	210.95	1062.83	97.51	1160.34
6	आईआईटी-तिरुपति	765.94	210.95	976.89	97.51	1074.40
	कुल	**5151.62**	**1265.70**	**6417.32**	**585.06**	**7002.38**

6 नए आईआईटी को जीआईए की वर्षवार रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	आईआईटी	वर्षवार जारी (करोड़ रुपए में)					कुल
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1	आईआईटी-पलक्कड़	25.00	43.84	57.15	46.63	40.78	**213.40**
2	आईआईटी-जम्मू	10.00	59.34	171.60	3.10	24.22	**268.26**
3	आईआईटी-भिलाई	5.00	16.00	43.30	4.20	23.05	**91.55**
4	आईआईटी-गोवा	0.00	26.175	25.00	22.85	43.07	**117.10**
5	आईआईटी-धारवाड़	5.00	26.175	45.86	11.80	50.13	**138.97**
6	आईआईटी-तिरुपति	18.00	28.99	51.30	22.41	50.68	**171.38**
							1000.65

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित / जारी किए गए धन का, राज्य और वर्ष-वार विवरण **निम्नानुसार है** :

क्र. सं.	संस्थानों का नाम	वर्षवार निधि विवरण (करोड़ों रुपए में)							
		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (19.03.2020 को)	
		फंड आवंटित किया गया	फंड खर्च किया	फंड आवंटित किया गया	फंड खर्च किया	फंड आवंटित किया गया	फंड खर्च किया	फंड आवंटित किया गया	फंड खर्च किया
1	आईआईएससी बैंगलोर	423.06	423.06	520.00	520.00	523.42	523.42	548.65	538.16

2	आईआईएसईआर पुणे	139.50	139.50		123.85		94.85		135.88
3	आईआईएसईआर कोलकाता	127.97	127.97		152.50		79.40		108.21
4	आईआईएसईआर मोहाली	72.00	72.00	735.00	76.60	580.00	90.68		87.75
5	आईआईएसईआर भोपाल	157.45	157.45		102.10		110.08	889.22	127.48
6	आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम	217.54	217.54		242.53		157.00		123.00
7	आईआईएसईआर बरहामपुर	25.00	25.00		37.42		31.5		106.32
8	आईआईएसईआर तिरुपति	36.00	36.00	45.02	45.02	54.10	54.10		9292
	कुल	1198.52	1198.52	1300.02	1300.02	1157.52	1141.03	1437.87	1319.72

अनुबंध-III

शिक्षा परियोजनाओं के संबंध में श्री अजय निषाद द्वारा 23.3.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4771 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

शिक्षा परियोजनाओं/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्यवन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम
(I) समग्र शिक्षा:

एसएसए/समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना में एक अंतर्निर्मित समवर्ती मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है। प्रगति का आकलन करने के लिए शैक्षिक डेटा को शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) के माध्यम से हर साल एकत्र किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 13.11.2017 को कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था। इन मूल्यांकन और निगरानी की स्थिति मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है। । इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर एक अखिल भारतीय प्रदर्शन लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) द्वारा 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी और तदनुसार 2017 में रिपोर्ट सं. 23 में शामिल किया गया था। इसे दिनांक 21.07.2017 को संसद के पटल पर रखा गया था। 2017-18 में SSA योजना का एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी किया गया था। इसमें यह बताया है कि एसएसए ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे की पहुंच को मजबूत करने और मजबूत बनाने में काफी सफलता हासिल की है। इसने हाल के वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित फोकस की सराहना की है।

एसएसए/समग्र शिक्षा के तहत निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मासिक / त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से अनुमोदित हस्तक्षेपों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली है, स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के साथ हुई।), भारत का, एक नियमित सीएजी ऑडिट, समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं की एक प्रणाली, साथ ही सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित आंतरिक लेखा परीक्षा और नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि धन के इष्टतम उपयोग की निगरानी की जा सके।

एसएसए/समग्र शिक्षा के तहत, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को शिक्षण मानकों में सुधार के लिए कई हस्तक्षेपों का समर्थन किया जाता है, जिसमें नियमित रूप से सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, नए भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, शैक्षणिक ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से शिक्षकों के लिए समर्थन, और उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, आदि शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार कक्षा – I और II में पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम (पीबीबीबी) के माध्यम से प्रारंभिक ग्रेड में पढ़ने, लिखने और समझने, और प्रारंभिक उप-कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक गणित कार्यक्रमों पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करती है। एसएसए/समग्र शिक्षा के उप-घटक के रूप में, राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए) का उद्देश्य कक्षा के भीतर और बाहर गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रेक्षण, प्रयोग, आविष्कार ड्राइंग, मॉडल निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, 20 फरवरी, 2017 को केंद्रीय आरटीई नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि कक्षा-वार, विषय-वार अध्ययन परिणामों पर संदर्भ शामिल किया जा सके। भाषा (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के परिणाम, प्रारंभिक अवस्था तक, तदनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अंतिम रूप से साझा किए गए हैं। ये सीखने के परिणाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे उपयुक्त शिक्षण स्तर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 को 2017 में संशोधित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर

सकें, ताकि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के जोर को सुदृढ़ किया जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) को ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से इस प्रशिक्षण का संचालन करने का दायित्व सौंपा गया है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह बनाने और एसएसए कार्यक्रम के माध्यम से आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी को सक्षम करने के लिए शगुन पोर्टल शुरू किया गया है।

(II) मिड डे मील (एमडीएम):

भारत सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों को निर्देश देते हैं कि वे बच्चों को परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखने के लिए नामित करें और एगमार्क की गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद करें। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण की एक प्रणाली रखी गई है। इसके अलावा, एमडीएम नियम, 2015 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के अनिवार्य परीक्षण के लिए प्रावधान किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन, पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है। सरकार ने केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विस्तृत निगरानी तंत्र भी अपनाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसा जाए। मध्याह्न भोजन योजना में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए एक प्रभावी प्रबंधन संरचना की स्थापना के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है;

ii) बच्चों को परोसे जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक द्वारा भोजन का अनिवार्य रूप से स्वाद चखा जाना;

iii) कम से कम एक अभिभावक और अधिमानतः दो व्यक्तियों जो, एसएमसी सदस्य नहीं हो सकते हैं, को छात्रों को भोजन परोसने के दौरान मौजूद होना चाहिए ताकि वे भोजन का स्वाद चख सकें और साथ ही एमडीएम का हिस्सा बनने वाले बच्चों की संख्या को प्रमाणित कर सकें। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे माता-पिता का एक रोस्टर मासिक आधार पर अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है और स्कूल में उनकी टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाता है।

iv) स्कूलों को सामग्री का सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति; दालों की खरीद और ब्रांडेड और एगमार्क गुणवत्ता की सामग्री।

v) जिले से वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन;

vi) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं / सरकार द्वारा खाद्य नमूनों का परीक्षण।

vii) माननीय एचआरएम की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन एमडीएमएस के तहत पहुंच, गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की निगरानी के लिए किया गया है।

viii) योजना में सुधार के उपायों की निगरानी और सुझाव के लिए संयुक्त समीक्षा मिशनों की स्थापना की गई है।

ix) इस योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा 13 राज्यों अर्थात् बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु में पूरा हो चुका है।

x) सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना (एमडीएमएस) की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्वचालित निगरानी प्रणाली (एमएएस) को विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया गया है।

xi) स्कूलों में आपातकालीन चिकित्सा योजना / आकस्मिक योजना, यदि कोई हो, अनचाही घटनाओं से निपटने के लिए।

xii) हितधारक की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र

xiii) एमडीएमएस के तहत स्कूल स्तर के रसोईघरों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश 13.02.2015 को जारी किए गए हैं।

xiv) मिड-डे मील नियम, 2015 में परिकल्पना की गई है कि 1) किसी भी स्कूल के दिन में अनाज, खाना पकाने की लागत, ईंधन या कुक-कम-हेल्पर की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल में मिड-डे मील प्रदान नहीं करता।

xv) स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील स्कीम को जारी रखने के उद्देश्य से स्कूल में उपलब्ध किसी भी फंड का उपयोग करने, स्कूल में खाद्यान्न की अस्थायी अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत आदि की अनुपलब्धता के लिए अधिकार दिया जाता है। उपयोग किए गए फंड को मिड-डे मील फंड की प्राप्ति के तुरंत बाद स्कूल खाते में वापस किया जाएगा ।

xvi) स्कूल न्यूट्रीशन गार्डन (SNG): स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन पर दिशानिर्देश सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया गया है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ मिड-डे मील की तैयारी में उपयोग के लिए स्कूल परिसर में जड़ी-बूटियाँ, फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं।

xvii) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना के लिए कहा गया। इको-क्लब एक ऐसा मंच है, जहां छात्रों को पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण व्यवहारिक से गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति के साथ काम करने के लिए मिलता है। एक मंच के रूप में इको-क्लब के भीतर व्यवहारिक गतिविधि आधारित अनुभव के माध्यम से प्रकृति के चारों ओर खोज करने के आश्चर्य और खुशी बच्चों की भावना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस): यह स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के अंतर्गत आती है और 2015-16 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा एनएसपी को दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ मंत्रालयों / विभागों में छात्रवृत्ति जारी करने की दिशा में तेजी से नज़र रखने के लिए विकसित किया गया है। विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र छात्र एनएसपी पर अपना पंजीकरण कराते हैं।

उच्च शिक्षा:

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा): रूसा के तहत सभी केंद्रीय अनुदानों को पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और लाभार्थी संस्थानों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं ताकि उनके प्रदर्शन का पता लगाया जा सके और किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सके। साथ ही, योजना की प्रगति की निगरानी के लिए रूसा के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा किया जाता है।

अनुबंध- IV

देश में केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य / संघ राज्य वार सूची (आज की तारीख के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केवी की संख्या	जेएनवी की संख्या
1	अंडमानऔर निकोबार द्वीप समूह	02	03
2	आंध्र प्रदेश	35	15
3	अरुणाचल प्रदेश	18	16
4	असम	58	27
5	बिहार	49	39
6	चंडीगढ़	05	01
7	छत्तीसगढ़	36	28
8	डी एंड एन हवेली	01	01
9	दमन और दीव	01	02
10	दिल्ली	46	02
1 1	गोवा	05	02
12	गुजरात	45	34
13	हरियाणा	34	21
14	हिमाचल प्रदेश	25	12
15	जम्मू और कश्मीर	36	19
16	झारखंड	39	26
17	कर्नाटक	51	31
18	केरल	38	14
19	लक्षद्वीप	01	01
20	लद्दाख	03	02
21	मध्य प्रदेश	111	54
22	महाराष्ट्र	59	34
23	मणिपुर	09	1 1
24	मेघालय	07	10
25	मिजोरम	04	08
26	नगालैंड	06	1 1
27	ओडिशा	62	31
28	पुडुचेरी	04	04
29	पंजाब	50	23
30	राजस्थान	77	35
31	सिक्किम	02	04
32	तमिलनाडु	43	0
33	तेलंगाना	35	09
34	त्रिपुरा	09	08
35	उत्तर प्रदेश	120	75
36	उत्तराखंड	44	13
37	पश्चिम बंगाल	62	19
कुल		**1232**	**645**

अनुलग्नक -V

रूसा के तहत स्वीकृत बिहार सहित राज्य की कई परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल भौतिक इकाइयाँ स्वीकृत (संकाय पद सहित)
1	आंध्र प्रदेश	137
2	अरुणाचल प्रदेश	50
3	असम	248
4	बिहार	77

5	छत्तीसगढ़	88
6	गोवा	26
7	गुजरात	99
8	हरियाणा	66
9	हिमाचल प्रदेश	83
10	जम्मू और कश्मीर	61
1 1	झारखंड	93
12	कर्नाटक	143
13	केरल	162
14	मध्य प्रदेश	105
15	महाराष्ट्र	93
16	मणिपुर	107
17	मेघालय	35
18	मिजोरम	116
19	नगालैंड	28
20	ओडिशा	165
21	पंजाब	66
22	राजस्थान	129
23	सिक्किम	63
24	तमिलनाडु	109
25	तेलंगाना	74
26	त्रिपुरा	27
27	उत्तर प्रदेश	137
28	उत्तराखंड	66
29	पश्चिम बंगाल	206
30	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	6
31	चंडीगढ़	17
32	दिल्ली	0
33	दादरा और नगर हवेली	2
34	दमन और दीव	3
35	पुडुचेरी	15
36	लद्दाख	4
कुल इकाइयाँ स्वीकृत		**2906**

*****